

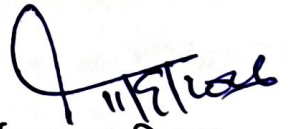
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01 / विकास-यो० / 16386 / 2026 1678/20070 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर 2026

आदेश

गन्ना यंत्रिकरण योजना (2026-27) के अंतर्गत गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कृषि कार्यों में यंत्रिकरण को बढ़ावा देने तथा किसानों को योजना के अंतर्गत निर्गत स्वीकृति पत्र के आधार पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु सुगम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिलों द्वारा अपने मिल परिसर में अगामी शुक्रवार को किसान कैम्प या मेला आयोजित किया जाए। मेले में अधिक से अधिक गन्ना किसानों एवं यंत्र विक्रेता की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए।

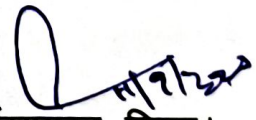
2. इस कैम्प में केवल गन्ना यंत्र के लिए SuMech पोर्टल पर Enlisted यंत्र विक्रेता का स्टॉल लगाया जाये तथा कैम्प में गन्ना यंत्रिकरण योजना (2026-27) के अंतर्गत निर्गत स्वीकृति पत्र से संबंधित किसानों को यंत्र का उठाव एवं इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई जैसे सत्यापन आदि का कार्य किया जाना है, जिससे की लाभुक किसानों को शीघ्र (अधिकतम 03 दिनों के अंदर) अनुदान का भुगतान किया जा सके।
3. जिला के संबंधित सहायक निदेशक (शष्प), ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी भी कैम्प में भाग लेने एवं संबंधित चीनी मिल से समन्वय कर चयनित किसानों को कैम्प से यंत्र उठाव हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।
4. उक्त कैम्प में संबंधित जिला के ईख प्रसार पदाधिकारी, जनसेवक, कामदार किसानों को घर से बुलाकर कैम्प में यंत्र वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. संबंधित चीनी मिल के सहायक निदेशक, ईख विकास यंत्रों के सूचीबद्ध डीलर को कैम्प में भाग लेना सुनिश्चित करायेंगे।
6. उक्त कैम्प के आयोजन हेतु सभी व्यवस्था संबंधित चीनी मिल द्वारा अपने स्तर से की जाएगी।
7. प्रस्ताव में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01 / विकास-16386 / 2026 1678/20070 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर 2026
प्रतिलिपि- मुख्यालय के संबंधित सभी पदाधिकारी/संबंधित उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास/संबंधित ईख पदाधिकारी/महाप्रबंधक, संबंधित सभी चीनी मिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01 / विकास-16386 / 2026 1678/20070 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर 2026
प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।